न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 82/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बद्रीलाल आत्मज रामा जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. नारायण आत्मज लेहरू जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मोहनी बेवा लेहरू जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. दिनेश आत्मज डालु जी जाट नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता चुन्नीबाई बेवा डालु जी जाट
2. कैलाशी पुत्री डालु जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मंजु पुत्री डालु जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. चुन्नीबाई बेवा डालु जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. चम्पालाल आत्मज हरलाल जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. मगनीराम आत्मज हरलाल जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. तिलोक आत्मज हरलाल जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. शोभा आत्मज भेरा जी जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिऐ शाखा प्रबन्धक
10. बैंक आफ बडौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिऐ शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1. पर्वतसिंह चुण्डावत — **अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **मनीष दाधीच** — **अधिवक्ता विपक्षीगण**

निर्णय दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प/कोर्ट गलवा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि आराजियात राजस्व खाता सख्या 118 में आराजी संख्या 337 रकबा 3.83 है0, 376 रकबा 0.24 है0, 377 रकबा 0.34 है0, 383 रकबा 0.21 है0, 384 रकबा 0.17 है0 385 रकबा 0.03 है0, 386 रकबा 0.34 है0, 387 रकबा 0.39 है0, 390 रकबा 0.13 है0, 606 रकबा 0.22 है0, 607 रकबा 0.22 है0, 625 रकबा 1.00 है0, 626 रकबा 0.34 है0, 829/389 रकबा 0.05 है0, 830/389 रकबा 0.14 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 7.65 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पास प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी की आराजी संख्या 388 रकबा 0.09है0 व आहता चाह संख्या 529 रकबा 0.02है0 स्थित है। खाता संख्या 47 में विपक्षीगण चम्पालाल, मगनीराम, तिलोक आत्मज हरलाल जी जाट के खातेदारी अधिकारी की आराजियात संख्या 378 रकबा 0.23 है0, 379 रकबा 0.12 है0, 382 रकबा 0.36 है0, 391 रकबा 0.12 है0, 532 रकबा 0.19 है0, 542 रकबा 0.44 है0, 619 रकबा 1.05 है0, 623 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.75 हे0 स्थित है। ग्राम सिंहपुरा के बैरून हल्का आबादी में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के खातेदारी अधिकार की आाजी संख्या 146 रकबा 0.21 है0, 375 रकबा 0.35 है, 380 रकबा 0.31 है0, 392 रकबा 0.12 है0, 393 रकबा 0.09 है0, 394 रकबा 0.30 है0, 395 रकबा 0.08है0, 398 रकबा 0.25 है0, 540 रकबा 0.10 है0, 620 रकबा 1.14 है0, 622 रकबा 0.30 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3. 25 है0 स्थित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 में वर्णित आराजियात के खातेदार

काश्तकार होकर उस पर काबिज है और उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसमें अन्य का कोई हक अधिकार व कब्जा नही है। विपक्षीगण की उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के पश्चिम दिशा में आती है। जिसमें वे सरकारी रास्ता सख्या 373 रकबा 0.38 है0 से आते जाते रहे है। विपक्षीगण अब प्रार्थीगण की आराजियात में नाजायज दखलदांजी करने लग गये है और उनकी सडक से लगी हुई आराजी संख्या 387, 386, 385, 384, 383, 377 में जगह जगह से सडक के किनारे लगे थोहरों की बाड को काट देते है, खेतों में मवेशी घुसा देते है मना करने पर गाली गलोच करते है। खडी फसलो को ट्रेक्टर निकाल कर बर्बाद कर देते है इस प्रकार बार बार नाजायज दखलदांजी करते है। लाठी के बल पर प्रार्थीगण उनका मुकाबला नही कर सकते है। जिससे उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। आराजी चाह संख्या 388 रकबा 0.09 है0 कुए की छुट में भी रोडी डाल कर नाजायज कब्जा करना चाहते है जब कि आहता चाह की सामलात भूमि पर किसी एक पक्ष को रोडी डालने निर्माण करने का कोई अधिकार नही है और दुसरे सह खातेदारी के उपयोग उपभोग में दखल करने का भी कोई अधिकार नही है लेकिन विपक्षीगण इसमे नाजायज दखलदांजी कर रहे है जिसे रोका जाना व रोडी डालने आदि का कृत्य करने पर उसे हटवाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाना भी आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात में विपक्षीगण की दखलदांजी करने का कोई अधिकार नही होते हुए भी वे जबरदस्ती उनकी आराजियात में नये सिरे से रास्ता कायम करना चाहते है और इसी नियत से वे जगह जगह आराजियात की बाड को काट कर नुकसान पहुचाते है जब कि उनकी आराजियात में पहुचने के लिए सरकारी रास्ता आराजी संख्या 373 उपलब्ध है लेकिन केवल मात्र प्रार्थी को जलील व परेशान करने की गरज से प्रार्थी की आराजियात में अकारण दखंलदाजी कर नुकसान पहुचाना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। दिनांक 6.7.2017 को विपक्षीगण ने धमकी दी कि आराजी सख्या 384 की बाड को तोड कर सीधे अपने खेतो पर जायेगें। ट्रेक्टर संज, बैल भी ले जायेगें तुम्हारे से हो सो कार्यवाही कर लो। इस पर प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात में किसी प्रकार की नाजायज दखलदाजी करने या नये सिरे से रास्ता कायम कर देगें या आहता चाह संख्या 388 में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर देगें या रोडिया डाल देगें तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति का आंकलन नकदी में नही किया जा सकेगा तथा दरम्यान पक्षकारान आपस में कई तरह से वाद विवाद उत्पन्न हो जावेगें। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफसैला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.07.2017 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 एवं 06 व 07 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 09 व 10 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 जा0 दी का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर विपक्षी सख्या 05 चम्पालाल का नाम डिलीट किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 एवं 06 व 07 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 01 को प्रार्थीगण अपनी समपुष्ट साक्ष्य से साबित करावे प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर दो को प्रार्थीगण अपनी समपुष्ट साक्ष्य से साबित करावें। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर तीन को प्रार्थीगण अपनी समपुष्ट साक्ष्य से साबित करावें। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर चार का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 378, 379, 382, 391 एंव 375, 380, 392, 393, 394, 395, 398 में आने जाने का सदैव से रास्ता मुख्य सडक गलवा से सिंहपुरा से खातेदार प्रार्थीगण ब्रदी नारायण मोहनी की आराजी सख्या 387 रकबा 0.39 है0 की पुर्वी पाली से रास्ता पूर्वजों के समय से निर्विवाद रूप से सहमति से कृषि आराजियात मे संज बैल ट्रेक्टर आदि ले जाते आ रहे है। फसल अवेरने का व फसल बोने के लिए आने जाने का एक मात्र रास्ता यही हमारे पूर्वजों के समय

रहा है। उक्त कलम में प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजियात प्रार्थीगण की आराजियात के पश्चिम दिशा में बताई है जो सही है। रोड है जिसके लगती हुई प्रार्थीगण की जमीन है व उससे लगती हुई आगे विपक्षीगण की जमीन है। प्रार्थीगण ने सरकार रास्ता नम्बर 373 बताया है उससे हमारा आना जाना बताया है जो कि गलत है क्योकि रोड के आगे आराजी सख्या 373 सरकारी रासते में आसपास की जमीनों का पानी बारिस के कारण रास्ते में भर जाता है और यह नाडा बन जाता है जहां से बैलगाडरी ट्रेक्टर संज बैल का आना जाना कर्तई संभव नही रहता है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 05 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उनकी आराजियात संख्या 377, 383 से 387 तक में जगह जगह सडक के किनारे लगे थोहरो की बाड को काट देते है दखलदाजी करते है जब कि वास्तविकता यह है कि उनकी आराजियात संख्या 387 की पुर्वी पाली से विपक्षीगण की आराजियात में आने जाने का रास्ता पुर्वजों के समय से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। जहा फसल अवेरने व फसल बोने के समय आते जाते रहे है, काटो की बाड व थोहर को दोनो पक्ष हटा कर बिना नुकसान कराये आते जाते रहे है। यदि विपक्षीगण की मक्की की फसल जल्दी कट जाती है तो इस रास्ते से प्रार्थीगण व उनके पूर्वज पुराने समय से आने जाने हेतु 5 स्लाई रास्ते की मक्की को काट कर रास्ता देते रहे है इसलिए इस कलम में अर्नगल मन मकसुद तरीके से नुकसान पहुचाने की बात गाली गलोच करने की बात पूर्णतः गलत है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 6 का जवाब का प्रकार है कि आराजी चाह संख्या 388 रकबा 0.09 है0 कुए की छुट में रोडी डालने की बात अपने अपने हिस्सेनुसार है। प्रार्थीगण ने इस कुए की छुट में पक्का निर्माण कर नाजायज रूप से पानी का टैंक बनना दिया है व लकडी व पत्थर डाल कर अवरोध उत्पन्न करना चाह रहे है व हिस्से का उपयोग उपभोग करने से महरूम करना चाहते है जब कि उक्त चाह संयुक्त रूप से कब्जे व उपयोग उपभोग में पुर्वजों के समय से चला आ रहा है। संयुक्त भुमि पर हर इंच पर हर खातेदार का अधिकार आधिपत्य माना गया है इसलिए किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण पाने के अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 7 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 387 की पुर्वी पाली से विपक्षीगण की आराजियात में जाने का रास्ता पुर्वजो के समय से चला आ रहा है व प्रार्थीगण की जमीन के काटों व थोहरों की बाड को हटा कर फसल बोने व अवेरने का काम करते चले आ रहे है। नये सिरे से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कायम नही करवाना चाहते है न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान ही पहुचाया है सकारी रासता बारिश के मौसम में पानी भरने से गड्डे नाडा में बदल जाता है इसलिए कतई आना जाना संभव नही रहता है। गावं से निकलते ही सामलाती कुआ है और कुए के पास ही प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात है। इस आराजी संख्या 387 में ही रासता चला आ रहा है। प्रार्थपा पत्र की कलम नम्बर 8 गलत होने से अस्वीकार है दिनांक 6.7.2017 की आराजी संख्या 384 की कोई बाड तोड कर खेतो में जाने की धमकी नही दी है रास्ता उनकी आराजी संख्या 387 की पूर्वी पाली से है आराजी संख्या 384 बाबत सब गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर नौ में जहा तक वादीगण प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनवान एक वाद पत्र प्रतिवादीगण विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय मे प्रस्तुत करने का तथ्य अंकित है बाबत आपति नही है लेकिन वादीगण प्रार्थीगण का वाद पत्र गलत बेबुनियाद एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से वादी प्रार्थी का वाद पत्र अवश्यमेव खारिज होगा। प्रार्थना पत्र की कलम न 10 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है तथा न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है विपक्षीगण नये सिरे से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कायम नही करवाना चाहते है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 387 की पूर्वी पाली से विपक्षीगण की आराजियात में जाने का रास्ता पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपुरणीय क्षति कारित नही हो रही है। जिससे प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना का प्रार्थना पत्र न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः

आदेश

ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की कृषि आराजियात राजस्व खाता सख्या 118 में आराजी संख्या 337 रकबा 3.83 है0, 376 रकबा 0.24 है0, 377 रकबा 0.34 है0, 383 रकबा 0.21 है0, 384 रकबा 0.17 है0 385 रकबा 0.03 है0,

प्रार्थीगण की ओर से निम्न आधारो पर यह

386 रकबा 0.34 है0, 387 रकबा 0.39 है0, 390 रकबा 0.13 है0, 606 रकबा 0.22 है0, 607 रकबा 0.22 है0, 625 रकबा 1.00 है0, 626 रकबा 0.34 है0, 829/389 रकबा 0.05 है0, 830/389 रकबा 0.14 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 7.65 है0 भूमि स्थित है में विपक्षीगण किसी प्रकार की नाजायज दखलदाजी न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण की आराजियात में नये सिरे से रास्ता कायम नही करे तथा आहता चाह सख्या 388 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करें न रोडियां डाले इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद तक जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मूल पत्रावली संख्या 52 /17 के साथ संलग्न की जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा